

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-डी० ए० मिस वाद सं०- 188B/2018-19

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

कन्हार्ल लाल महतो .....आवेदक / विक्रेता

बनाम

मकरा महतो.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

20-02-2020

विक्रेता :- कन्हार्ल लाल महतो पिता स्व० नारायण महतो, ग्राम-बरगाँव, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

क्रेता :- मकरा महतो पिता स्व० अधीन महतो, ग्राम-बरगाँव, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 05.11.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता मकरा महतो पिता स्व० अधीन महतो, ग्राम-बरगाँव, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बरगाँव	खरसावाँ / 184	04	750/अं०	0.26ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, खरसावाँ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, खरसावाँ का पत्रांक 49 दिनांक 16.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादाजी के नाम से खयितान एवं पंजी-II दर्ज है।
2. विक्रेता अपने दादाजी एवं पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता के पास रकबा-4.81 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. विक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।



लगातार.....2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, खरसावाँ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, खरसावाँ के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता कन्हार्ई लाल महतो पिता स्व0 नारायण महतो, ग्राम-बरगाँव, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता मकरा महतो पिता स्व0 अधीन महतो, ग्राम-बरगाँव, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला- खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.26एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

  
20/02/2020  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।